

विविध बैंक प्रकरण संख्या 94/2019 (RCMS 2019/00173) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नई मंडी घड़साना जिला श्रीगंगानगर जरिये विनीत बंसल मुख्य प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक बनाम 1. मैसर्स बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज-प्रो. श्री जगदीश बिश्नोई पुत्र श्री राम प्रताप निवासी प्लॉट नं. एफ-17, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया (रीको), नई मंडी घड़साना जिला श्रीगंगानगर 2. श्रीमति निर्मला देवी पुत्री श्री जगदीश राय 3. श्री अन्नु कुमार पुत्र श्री विजय कुमार निवासी अमर कॉलोनी वार्ड नं 03, नई मंडी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

18.11.2019



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मै. बालाजी एग्रो. इंडस्ट्रीज-प्रो. जगदीश बिश्नोई, श्रीमती निर्मला देवी एवं श्री अन्नु कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 19.50 लाख रुपये (अखरे रुपये उन्नीस लाख पचास हजार मात्र) का ऋण दिनांक 16.11.2015 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी निर्मला देवी की अचल सम्पत्ति व्यावसायिक प्लॉट नं. एफ-17(ए), फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया (रीको), नई मंडी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) एवं श्री अन्नु कुमार की रिहायशी सम्पत्ति वार्ड नं. 03, 3 एसटीआर, अमर कॉलोनी, नई मंडी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 2275 वर्गफुट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.10.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 14.01.2019 को 17,25,757/-रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त

जिला मैजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 14.01.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का दिया गया एवं नोटिस 13(2) पर अप्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर भी है, जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी निर्मला देवी की अचल सम्पत्ति व्यावसायिक प्लॉट नं. एफ-17(ए), फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया (रीको), नई मंडी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) एवं श्री अन्नु कुमार की रिहायशी सम्पत्ति वार्ड नं. 03, 3 एसटीआर, अमर कॉलोनी, नई मंडी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 2275 वर्गफुट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स बालाजी एग्रो. इंडस्ट्रीज -प्रो. जगदीश बिश्नोई, श्रीमती निर्मल देवी एवं श्री अन्नु कुमार को 19.50/-लाख रूपये(अखरे रूपये उन्नीस लाख पचास हजार मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 16.11.2015 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में निर्मला देवी की अचल सम्पत्ति व्यावसायिक प्लॉट नं. एफ-17(ए), फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया (रीको), नई मंडी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) एवं श्री अन्नु कुमार की रिहायशी सम्पत्ति वार्ड नं. 03, 3 एसटीआर, अमर कॉलोनी, नई मंडी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 2275 वर्गफुट) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक 28.10.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 14.01.2019 जारी किया गया है जिन पर अप्रार्थीगण

ऋणियों के स्वयं के हस्ताक्षर एवं धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भी जारी किये गए हैं जिसको भेजने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं ट्रैक कन्साईनमेंट की प्रति पेश की है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार उक्त धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण ऋणियों पर तामील हो चुका है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति व्यावसायिक प्लॉट नं. एफ-17(ए), फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया (रीको), नई मंडी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) जो श्रीमंती निर्मला देवी के नाम से है एवं रिहायशी सम्पत्ति वार्ड नं. 03, 3 एसटीआर, अमर कॉलोनी, नई मंडी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 2275 वर्गफुट) जो श्री अन्नु कुमार के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 14.01.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 14.01.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी मैसर्स बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज-प्रो. जगदीश बिश्नोई, श्रीमती निर्मला देवी एवं श्री अन्नु कुमार के नाम जारी किये गये है जिन पर अप्रार्थीगण स्वयं के हस्ताक्षर है एवं उक्त धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भी भिजवाये गये है, जिसकी रसीद एवं प्राप्ति के ट्रैक कन्साईन्मेंट की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है परिणामस्वरूप अप्रार्थी के स्वयं हस्ताक्षरित धारा 13(2) के नोटिस एवं पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रैक कन्साईन्मेंट की प्रतियां रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्रीमती निर्मला देवी एवं श्री अन्नु कुमार द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा- नई मंडी घड़साना जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2019 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति व्यावसायिक प्लॉट नं. एफ-17(ए), फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया (रीको), नई मंडी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) जो श्रीमती निर्मला देवी के नाम से है एवं रिहायशी सम्पत्ति वार्ड नं. 03, 3 एसटीआर, अमर कॉलोनी, नई मंडी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 2275 वर्गफुट) जो श्री अन्नु कुमार के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का

जिला मैजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसन्नि एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर